

# छ.ग.राज्य सहकारी बैंक मर्यादित, रायपुर

अपेक्स बैंक (Apex Bank)

मुख्यालय "सहकार भवन", प्लॉट नं.-74, सेक्टर-24, अटल नगर, नवा रायपुर(छ.ग.) 492002  
Website: www.cgapexbank.com Email : cg.apexbank.ho@gmail.com



छ.ग./मुख्यालय/नवा रायपुर क्र. 2190/अ

दिनांक 16/09/2023

—:: विस्तृत विज्ञापन ::—

कार्यालय पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, छत्तीसगढ़, विभागाध्यक्ष कार्यालय, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक मर्यादित, रायपुर तथा जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर एवं अंबिकापुर में सीधी भर्ती के रिक्त पदों पर भर्ती हेतु निम्नानुसार आदेश जारी कर अनुमति प्रदान की गई है :-

क्र0	आदेश पत्र क्रमांक/दिनांक	बैंक का नाम
1.	क्रमांक/साख-1A/280/2023/1776/नवा रायपुर, दिनांक 26/04/2023	छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक मर्यादित, रायपुर
2.	क्रमांक/साख-2/सी.सी.बी./20/2023/1894 नवा रायपुर, दिनांक 04/05/2023	जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, रायपुर
3.	क्रमांक/साख-2/सी.सी.बी./145/2023/1896 नवा रायपुर, दिनांक 04/05/2023	जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, दुर्ग
4.	क्रमांक/साख-2/सी.सी.बी./27/2023/1974 नवा रायपुर, दिनांक 12/05/2023	जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, बिलासपुर
5.	क्रमांक/साख-2/सी.सी.बी./27/2023/2086 नवा रायपुर, दिनांक 23/05/2023	जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, अंबिकापुर

साथ ही कार्यालय पंजीयक सहकारी संस्थाएं, छत्तीसगढ़ द्वारा पत्र क्र./साख-2/न.क्र.-186/2023/3264 दिनांक 23.08.2023 के द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक एवं 06 जिला सहकारी केन्द्रीय बैंकों के रिक्त पदों पर भर्ती हेतु संयुक्त भर्ती परीक्षा आयोजन के लिए छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक को नोडल एजेन्सी नियुक्त किया गया है। उपरोक्त प्रदत्त अनुमति के आधार पर छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक मर्यादित, रायपुर तथा जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, एवं अंबिकापुर में निम्नलिखित पदों पर सीधी भर्ती हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मण्डल, नवा रायपुर के वेबसाइट <https://vyapam.cgstate.gov.in> पर आमंत्रित किये जाते हैं:-

- छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक (अपेक्स बैंक) मुख्यालय, शाखा - शारदा चौक, रायपुर/पण्डरी, रायपुर/ भिलाई/ बिलासपुर तथा छ.ग.सहकारी प्रशिक्षण संस्थान, रायपुर हेतु

क्र.	सेवा में सम्मिलित पदों के नाम	रिक्त पद	वेतनमान(छ.ग.शासन द्वारा लागू सातवां वेतनमान) एवं लेवल
(1)	(2)	(3)	(4)
1	कनिष्ठ प्रबंधक- (2) (आई.टी./प्रोग्रामर)	01	43200-136500 (L-10)
2	कनिष्ठ प्रबंधक- (2) (कन्सट्रक्शन/मेन्टेनेन्स)	01	43200-136500 (L-10)

- छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक से छ.ग. के जिला सहकारी केन्द्रीय बैंकों के संवर्ग पदों हेतु

क्र.	सेवा में सम्मिलित पदों के नाम	रिक्त पद	वेतनमान(छ.ग.शासन द्वारा लागू सातवां वेतनमान) एवं लेवल
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	कनिष्ठ प्रबंधक संवर्ग (कृषि विशेषज्ञ)	01	43200-136500 (L-10)
2.	कनिष्ठ प्रबंधक संवर्ग (आई.टी.विशेषज्ञ)	01	43200-136500 (L-10)



*(Handwritten signature)*

## 3. जिला सहकारी केन्द्रीय बैंकों (छ.ग.) के मुख्यालय एवं जिला नोडल कार्यालय हेतु

क्रं.	सेवा/पद का नाम	जिला सहकारी बैंकवार पदों की संख्या				वेतनमान(छ.ग. शासन द्वारा लागू सातवां वेतनमान)	लेवल
		रायपुर	दुर्ग	बिलासपुर	अंबिकापुर		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	उप प्रबंधक (उप यंत्री)	01	—	01	—	35400-112400	L-8
2	उप प्रबंधक (प्रोग्रामर)	04	04	03	01	35400-112400	L-8
3	सहायक प्रबंधक (सहायक प्रोग्रामर)	04	—	—	01	28700-91300	L-7

टीप:-

- रिक्त पदों की संख्या अनंतिम/परिवर्तनीय है, बैंक अपनी आवश्यकतानुसार रिक्त पदों में कमी या वृद्धि कर सकती है।
- छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक मर्यादित, रायपुर के उक्त पदों पर भर्ती की कार्यवाही "छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक मर्यादित, रायपुर (सेवायुक्तों के नियोजन, निबंधन एवं कार्यस्थिति) नियम- 2023" के तत्संबंधी प्रावधानों के अंतर्गत की जायेगी।
- जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर एवं अंबिकापुर के उक्त पदों पर भर्ती की कार्यवाही "जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक कर्मचारी सेवा (सेवायुक्तों के नियोजन, निबंधन एवं कार्यस्थिति) नियम- 2023" के तत्संबंधी प्रावधानों के अंतर्गत की जायेगी।

भर्ती की पात्रता एवं शर्तें :-

(01) आरक्षण :- माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय अनुसार पंजीयक सहकारी संस्थाएं, छत्तीसगढ़ द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक/साख/2014/5352 रायपुर, दिनांक 03.11.2014 के परिपालन में उक्त बैंकों में आरक्षण लागू नहीं है।

## (02) शैक्षणिक योग्यता (दिनांक 31/08/2023 पर) :-

क्र.	सेवा में सम्मिलित पदों के नाम	विहित शैक्षणिक अर्हता
(1)	(2)	(3)
1.	कनिष्ठ प्रबंधक- (2)(आई.टी./प्रोग्रामर)	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से प्रथम श्रेणी में एम.सी.ए./बी.ई./बी.टेक. (कम्प्यूटर एप्लीकेशन / कम्प्यूटर साईंस / इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी / इलेक्ट्रॉनिक्स एवं कम्प्युनिकेशन)
2.	कनिष्ठ प्रबंधक- (2)(कन्सट्रक्शन/मेन्टेनेन्स)	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से सिविल इंजीनियरिंग में प्रथम श्रेणी में स्नातक या द्वितीय श्रेणी में स्नातकोत्तर
3.	कनिष्ठ प्रबंधक संवर्ग (कृषि विशेषज्ञ)	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से एग्रीकल्चर में प्रथम श्रेणी में स्नातकोत्तर



4.	कनिष्ठ प्रबंधक संवर्ग (आई.टी.विशेषज्ञ)	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से प्रथम श्रेणी में एम.सी.ए./बी.ई./बी.टेक.(कम्प्यूटर साईस/इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी/इलेक्ट्रॉनिक्स एवं कम्युनिकेशन)
5.	उप प्रबंधक (प्रोग्रामर)	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से प्रथम श्रेणी में <b>MCA/BE/B.Tech</b> (कम्प्यूटर साईस/इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी/ इलेक्ट्रॉनिक्स एवं कम्युनिकेशन)
6.	उप प्रबंधक (उप यंत्री)	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से सिविल इंजीनियरिंग में प्रथम श्रेणी में स्नातक या द्वितीय श्रेणी में स्नातकोत्तर)
7.	सहायक प्रबंधक (सहायक प्रोग्रामर)	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से 50 प्रतिशत अंकों सहित <b>MCA/BE/B.Tech</b> (कम्प्यूटर साईस /इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी/ इलेक्ट्रॉनिक्स एवं कम्युनिकेशन)

## (03) वेतनमान :-

क्र.	सेवा में सम्मिलित पदों के नाम	छ.ग.शासन द्वारा लागू सातवां वेतनमान	लेवल
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	कनिष्ठ प्रबंधक- (2) (आई.टी./प्रोग्रामर)	43200-136500	L-10
2.	कनिष्ठ प्रबंधक- (2) (कन्सट्रक्शन/मेन्टेनेन्स)	43200-136500	L-10
3.	कनिष्ठ प्रबंधक संवर्ग (कृषि विशेषज्ञ)	43200-136500	L-10
4.	कनिष्ठ प्रबंधक संवर्ग (आई.टी.विशेषज्ञ)	43200-136500	L-10
5.	उप प्रबंधक (प्रोग्रामर)	35400-112400	L-8
6.	उप प्रबंधक (उप यंत्री)	35400-112400	L-8
7.	सहायक प्रबंधक (सहायक प्रोग्रामर)	28700-91300	L-7

टीप:- छत्तीसगढ़ शासन द्वारा समय-समय पर प्रसारित आदेशों के अनुसार मंहगाई भत्ते एवं अन्य भत्ते देय होगा।

## (04) आयु सीमा :-

- दिनांक 01.01.2023 को 21 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो तथा 35 वर्ष से अधिक न हो। छत्तीसगढ़ राज्य के बाहर के उम्मीदवारों की अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष होगी।
- छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, नवा रायपुर के परिपत्र क्रमांक/एफ 3-2/2015/1-3 दिनांक 30.01.2019 के अनुसार छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासियों को निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में छूट प्रदान की जावेगी।

## (05) अन्य महत्वपूर्ण शर्तें:-

- यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी कि वे विज्ञापित पद के लिए निर्धारित समस्त अर्हताओं तथा शर्तों को पूरा करते हैं अतः आवेदन करने के पहले



*(Handwritten signature)*

- आवेदक अपनी अर्हता की जांच स्वयं कर लें और अर्हता की समस्त शर्तों को पूरा करने पर ही ऑनलाईन आवेदन प्रस्तुत करें ।
2. परीक्षा में सम्मिलित किये जाने का यह अर्थ कदापि नहीं होगा कि आवेदक को अर्ह मान लिया गया है चयन के किसी भी स्तर पर आवेदक के अनर्ह पाये जाने पर आवेदन निरस्त कर उसकी उम्मीदवारी समाप्त की जावेगी ।
  3. चयनित उम्मीदवार का जिला चिकित्सालय के चिकित्सा बोर्ड से स्वास्थ्य फिटनेस प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात ही सेवा में लिया जावेगा ।
  4. चयनित उम्मीदवार का पुलिस व्हेरीफिकेशन कराया जावेगा ।
  5. सीधी भर्ती के रिक्त पदों पर चयन हेतु व्यापम द्वारा संयुक्त भर्ती परीक्षा आयोजित की जायेगी ।
  6. आवेदन के समय संबंधित पद हेतु विहित शैक्षणिक अर्हता एवं अन्य आवश्यक अर्हता धारित करने वाले अभ्यर्थी आवेदन भरेंगे। आवेदन में ही आवेदकों द्वारा पद का विकल्प भरा जायेगा ।
  7. छ.ग.राज्य सहकारी बैंक हेतु विज्ञापित पद – कनिष्ठ प्रबंधक के सभी पदों/ तकनीकी पदों हेतु चयनित अभ्यर्थियों की पदस्थी छ.ग.राज्य सहकारी बैंक के कार्यक्षेत्र अंतर्गत मुख्यालय, क्षेत्रीय/नोडल कार्यालय, बैंक शाखाओं एवं छ.ग.सहकारी प्रशिक्षण संस्थान में की जा सकेगी ।
  8. छ.ग.राज्य सहकारी बैंक हेतु विज्ञापित पद – कनिष्ठ संवर्ग के सभी पदों/ तकनीकी पदों हेतु चयनित अभ्यर्थियों की पदस्थी प्रदेश के 06 जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक के कार्यक्षेत्र अंतर्गत मुख्यालय, क्षेत्रीय/नोडल कार्यालय, बैंक की शाखाओं में की जावेगी ।
  9. जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक हेतु विज्ञापित पद – उप प्रबंधक(उप यंत्री), उप प्रबंधक(प्रोग्रामर), सहायक प्रबंधक (सहायक प्रोग्रामर) हेतु चयनित अभ्यर्थियों की पदस्थी सेवा में सम्मिलित पदों के अनुरूप संबंधित जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक के कार्यक्षेत्र अंतर्गत मुख्यालय, क्षेत्रीय /नोडल कार्यालय, बैंक की शाखाओं में की जावेगी ।
  10. विज्ञापित पदों पर नियुक्ति 03 वर्ष की परीवीक्षा अवधि पर की जायेगी। परीवीक्षावधि के दौरान सेवायुक्त का कार्य एवं आचरण संतोषजनक पाए जाने पर नियुक्तकर्ता अधिकारी द्वारा परीवीक्षावधि की समाप्ति के पश्चात् सेवायुक्त को चयनित पद पर नियमित किया जा सकेगा। परीवीक्षावधि में सेवायुक्त का कार्य एवं आचरण संतोषजनक न पाए जाने पर अथवा अन्य कारणों से पदों के निरस्तीकरण की स्थिति में नियोक्ता बैंक द्वारा परीवीक्षा पर कार्यरत सेवायुक्त की सेवाएं लिखित आदेश द्वारा समाप्त की जा सकेगी ।
  11. सीधी भर्ती के पदों पर चयन किये जाने वाले सेवायुक्तों के साथ बैंक द्वारा एक बंधन-पत्र का निष्पादन अनिवार्यतः किया जायेगा, जिसमें सेवा की समस्त शर्तों के साथ इस आशय का शपथ-पत्र अनिवार्य रूप से देना होगा कि उन्हें विज्ञापन में प्रकाशित वेतनमान संबंधी कंडिका निःशर्त स्वीकार होगी ।
  12. ऑन लाईन आवेदन में दी गई जानकारी की समस्त प्रमाण-पत्रों की मूल प्रतियां एवं स्व प्रमाणित छायाप्रतियां दस्तावेजों के परीक्षण/साक्षात्कार/नियुक्ति के समय प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा ।
  13. शासकीय/अर्द्धशासकीय संस्था में कार्यरत कर्मचारियों को नियोक्ता के अनापत्ति प्रमाण-पत्र नियुक्ति के समय प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा ।
  14. भर्ती प्रक्रिया संशोधित करने/विलोपित करने एवं उत्पन्न किसी भी विवाद एवं समस्या पर अंतिम निर्णय लिये जाने का अधिकार नियोक्ता बैंक के पास सुरक्षित रहेंगे ।
  15. सभी संशोधन/शुद्धि पत्र सहकारिता विभाग, छत्तीसगढ़ शासन/छ.ग.राज्य सहकारी बैंक/व्यापम की अधिकृत वेबसाइट पर ही अपलोड की जावेगी ।
  16. नियोक्ता बैंक को कागजी आवेदन और अन्य प्रलेखों की प्रतियां मान्य नहीं होगी ।



*(Handwritten signature)*

## (06) पहचान का सत्यापन :-

आवेदक/उम्मीदवार परीक्षा हाल में पहचान प्रमाण के लिए आधार कार्ड/ पेन कार्ड/पासपोर्ट/ड्राइविंग लायसेंस/वोटर कार्ड आदि मूल एवं स्व प्रमाणित छायाप्रति प्रस्तुत करें। यह सुनिश्चित कर लें कि उपरोक्त पहचान प्रमाण पत्र शैक्षणिक प्रमाण पत्र से अक्षरशः मेल खाते हो ।

## (07) परीक्षा हेतु निर्देश :- व्यापम के निर्देशानुसार होगा।

## (08) अन्य महत्वपूर्ण बिन्दु :-

- 1 भर्ती से संबंधित सभी मामलों में बैंक का निर्णय बंधनकारी एवं अंतिम होगा । कोई भी पत्राचार अथवा व्यक्तिगत पूछताछ के लिए बैंक प्रबंधन द्वारा विचार नहीं किया जायेगा ।
- 2 किसी उम्मीदवार द्वारा गलत जानकारी या प्रक्रिया का उल्लंघन किये जाने पर भर्ती प्रक्रिया के दौरान बैंक प्रबंधन को ज्ञात नहीं हो पाता है, किन्तु बाद में यह संज्ञान में आता है कि उम्मीदवार का चयन त्रुटिवश हुआ है, तो बैंक प्रबंधन को यह अधिकार होगा कि चयनित उम्मीदवार का चयन रद्द कर अगले उम्मीदवार का चयन करे ।
- 3 भर्ती से संबंधित विवाद की स्थिति में न्यायालयीन क्षेत्राधिकार रायपुर होगा ।

## (09) परीक्षा योजना :- सीधी भर्ती के रिक्त पदों पर चयन हेतु व्यापम द्वारा संयुक्त भर्ती परीक्षा आयोजित की जायेगी।

लिखित परीक्षा

## 1. कनिष्ठ प्रबंधक - (2) (कन्सट्रक्शन/मेन्टेनेन्स) पद हेतु

भाग-1	
क्र०	विषय
1.	छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान
2.	छत्तीसगढ़ी भाषा का ज्ञान
भाग-2	
1.	सहकारिता अधिनियम एवं बैंकिंग संबंधी
2.	सामान्य ज्ञान
3.	गणितीय एवं तार्किक योग्यता
4.	हिन्दी एवं अंग्रेजी भाषा ज्ञान
भाग-3	
1.	सिविल इंजीनियरिंग संबंधी

## 2. कनिष्ठ प्रबंधक - (2) (आई.टी./प्रोग्रामर)/ कनिष्ठ प्रबंधक संवर्ग (आई.टी. विशेषज्ञ) पद हेतु

भाग-1	
क्र०	विषय
1.	छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान
2.	छत्तीसगढ़ी भाषा का ज्ञान



*(Handwritten signature)*

भाग-2	
1.	सहकारिता अधिनियम एवं बैंकिंग संबंधी
2.	सामान्य ज्ञान
3.	गणितीय एवं तार्किक योग्यता
4.	हिन्दी एवं अंग्रेजी भाषा ज्ञान
भाग-3	
1.	आई.टी./प्रोग्रामिंग संबंधी

## 3. कनिष्ठ प्रबंधक संवर्ग (कृषि विशेषज्ञ) पद हेतु

भाग-1	
क्र०	विषय
1.	छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान
2.	छत्तीसगढ़ी भाषा का ज्ञान
भाग-2	
1.	सहकारिता अधिनियम एवं बैंकिंग संबंधी
2.	सामान्य ज्ञान
3.	गणितीय एवं तार्किक योग्यता
4.	हिन्दी एवं अंग्रेजी भाषा ज्ञान
भाग-3	
1.	कृषि संबंधी

## 4. उप प्रबंधक (उप यंत्री) पद हेतु

भाग-1	
क्र०	विषय
1.	छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान
2.	छत्तीसगढ़ी भाषा का ज्ञान
भाग-2	
1.	सहकारिता अधिनियम एवं बैंकिंग संबंधी
2.	सामान्य ज्ञान
3.	गणितीय एवं तार्किक योग्यता
4.	हिन्दी एवं अंग्रेजी भाषा ज्ञान
भाग-3	
1.	सिविल इंजीनियरिंग संबंधी

## 5. उप प्रबंधक (प्रोग्रामर) एवं सहायक प्रबंधक (सहायक प्रोग्रामर) पद हेतु

भाग-1	
क्र०	विषय
1.	छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान
2.	छत्तीसगढ़ी भाषा का ज्ञान



*(Handwritten signature)*

भाग-2	
1.	सहकारिता अधिनियम एवं बैंकिंग संबंधी
2.	सामान्य ज्ञान
3.	गणितीय एवं तार्किक योग्यता
4.	हिन्दी एवं अंग्रेजी भाषा ज्ञान
भाग-3	
1.	आई.टी./प्रोग्रामिंग संबंधी

- सीधी भर्ती के पदों पर चयन हेतु अभ्यर्थी को छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान एवं छत्तीसगढ़ी भाषा के ज्ञान संबंधी लिखित परीक्षा में न्यूनतम 50% अंक या उससे अधिक अंकों सहित उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा। (लिखित परीक्षा भाग-1 में निर्धारित अंकों का न्यूनतम 50% अंक या उससे अधिक अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा) लिखित परीक्षा (भाग-1) में 50% से कम अंक अर्जित करने वाले अभ्यर्थी चयन हेतु अपात्र होंगे। ऐसे अभ्यर्थी जो भाग-1 परीक्षा में न्यूनतम 50% अंक या उससे अधिक अंक अर्जित करते हैं उन्हें पात्र मानते हुए उनके द्वारा लिखित परीक्षा (भाग-2 एवं भाग-3) में प्राप्त कुल अंकों के आधार पर प्राप्तांक सूची तैयार की जायेगी। व्यापम द्वारा पदवार पृथक्-पृथक् प्राप्तांक सूची जारी की जायेगी।
- व्यापम द्वारा जारी लिखित परीक्षा की प्राप्तांक सूची के आधार पर अभ्यर्थियों का साक्षात्कार संबंधित बैंकों द्वारा लिया जायेगा।
- साक्षात्कार हेतु अंक, परीक्षा के कुल अंकों के 10% होंगे। (लिखित परीक्षा भाग-2 एवं भाग-3 के कुल अंकों का 10 % होगा)
- साक्षात्कार की सूचना उम्मीदवार को कम से कम 21 दिवस पूर्व पंजीकृत डाक/स्पीड पोस्ट द्वारा अनिवार्य रूप से भेजी जायेगी और बैंक तथा सहकारिता विभाग के अधिकृत वेबसाइट में भी 21 दिवस पूर्व अपलोड की जायेगी।
- सहायक प्रबंधक (सहायक प्रोग्रामर) पद पर सीधी भर्ती/चयन हेतु साक्षात्कार नहीं लिया जायेगा।
- शेष सभी पदों हेतु लिखित परीक्षा की मेरिट सूची से 01 पद के लिए अधिकतम 03 उम्मीदवारों को साक्षात्कार हेतु आमंत्रित किया जायेगा। मेरिट सूची, साक्षात्कार की सूची का प्रकाशन, छ.ग.राज्य सहकारी बैंक तथा सहकारिता विभाग, छत्तीसगढ़ शासन के अधिकृत वेबसाइट में किया जायेगा।
- लिखित परीक्षा में प्राप्त अंक एवं साक्षात्कार में प्राप्त कुल अंकों के आधार पर अंतिम चयनित सूची के अनुसार नियुक्ति की कार्यवाही संबंधित बैंक की चयन कमेटी/स्टॉफ उप समिति द्वारा की जावेगी।
- चयन सूची के साथ प्रतीक्षा सूची बैंक द्वारा घोषित की जायेगी जो परिणाम घोषित होने की तिथि से एक वर्ष के लिए मान्य होगी तथा इस अवधि में किसी भी कारण से रिक्त हुए पदों की भर्ती इस प्रतीक्षा सूची से संबंधित बैंक द्वारा की जा सकेगी।
- समान अंक प्राप्त होने की स्थिति में अभ्यर्थियों की जन्मतिथि को आधार मानकर वरीयता तय की जायेगी, जिन अभ्यर्थियों की जन्मतिथि पहले होगी उन्हें वरीयता प्रदान की जायेगी। जिन अभ्यर्थियों के अंक एवं आयु समान होंगे उनकी वरीयता अंग्रेजी के वर्णमाला के अनुसार निर्धारित की जायेगी।




*[Handwritten signature]*

## (10) दस्तावेजों का सत्यापन :-

- 1 साक्षात्कार/दस्तावेजों के सत्यापन की सूचना परीक्षा परिणाम की घोषणा के साथ अथवा पृथक से बैंक द्वारा संचार के उचित माध्यम से दी जावेगी ।
- 2 यदि किन्ही कारणों से तिथि एवं समय में परिवर्तन होता है तो इसकी सूचना चयनित उम्मीदवारों को पंजीकृत ई-मेल आई.डी., एस.एम.एस. तथा उचित माध्यम से दी जायेगी अथवा बैंक की वेबसाइट पर भी प्रदर्शित किया जाएगा ।
- 3 सत्यापन के समय प्रस्तुत किये जाने वाले निम्न दस्तावेजों की मूलप्रति तथा स्वयं के द्वारा सत्यापित छायाप्रति प्रस्तुत करने के पश्चात ही चयन प्रक्रिया में सम्मिलित किये जाने योग्य माना जाएगा ।
  - (1) बैंक द्वारा प्रेषित काल लेटर ।
  - (2) ऑन लाईन आवेदन पत्र एवं प्रवेश पत्र की मुद्रित प्रति ।
  - (3) जन्मतिथि के प्रमाण हेतु दस्तावेज जैसे:- जन्म प्रमाण पत्र, हाई स्कूल (10+2) प्रमाण पत्र जिससे जन्म तिथि प्रमाणित होती हो ।
  - (4) नवीनतम रंगीन 04 फोटोग्राफ, पहचान पत्र सहित ।
  - (5) बोर्ड/विश्वविद्यालय द्वारा जारी शैक्षणिक योग्यता प्रमाणपत्र/अंकसूची की मूल प्रति ।
  - (6) आयु में छूट संबंधी छत्तीसगढ़ का मूल निवासी प्रमाण पत्र ।
  - (7) अन्य विशेष वर्गों के लिए अधिकतम आयु सीमा में छूट संबंधी प्रमाण पत्र ।
  - (8) उम्मीदवार यदि किसी शासकीय/अर्द्धशासकीय सेवा/निगम/मण्डल/सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक/स्वशासी संस्था में कार्यरत है तो नियोक्ता द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र ।
  - (9) अन्य ऐसे प्रमाण पत्र/दस्तावेज जिन्हें सत्यापन में प्रस्तुत किया जा सकता हो ।

परीक्षा पाठ्यक्रम ,परीक्षा हेतु ऑनलाइन आवेदन की विधि, परीक्षा शुल्क भुगतान की विधि, परीक्षा की तिथि,समय एवं केन्द्र तथा अन्य निर्देश व्यापम की अधिकृत वेबसाइट <https://vyapam.cgstate.gov.in> पर देखा जा सकता है ।



प्रबंध संचालक  
छ.ग.राज्य सहकारी बैंक मर्यादित,  
रायपुर

